

बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत डाक
गुन्क के मगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2 22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. सं.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुरा/
तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 249]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 सितम्बर 2007—भाद्र 31, शक 1929

खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2007

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-4-19/2002/9.—छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने खेल के क्षेत्र में राज्य के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ियों को जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करके राज्य का गौरव बढ़ाया है, उन्हें खेल के क्षेत्र में राज्य को दी गई उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित करने के उद्देश्य से "गुणडाभूर सम्मान" देने का निर्णय लिया है, तथा क्रमांक 1991/खेल/2001, दिनांक 17-10-2001 तथा सम्बंधित क्रमांक दिनांक 17-9-2004 (संशोधन) से इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु नियम की अधिसूचना जारी की गई है. उक्त नियम में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 11-3/2005/1/5, दिनांक 17 अप्रैल 2007 के निर्देशानुसार, संशोधन का इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाए जाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "गुणडाभूर सम्मान नियम-2007" है.
- (2) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. परिभाषा— इन नियमों में जहाँ तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

- (1) "विभाग" से तात्पर्य खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, छत्तीसगढ़ से है.
- (2) "संचालनालय" से तात्पर्य संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण छत्तीसगढ़ से है.
- (3) राष्ट्रीय खेल संघ से तात्पर्य राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित खेल का आयोजन करने हेतु युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार या भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त संस्था से है. यदि भारतीय ओलम्पिक संघ तथा भारत सरकार द्वारा एक ही खेल विधा के लिए अलग-अलग संघों को मान्यता प्रदान की गई हो तो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से है.

- (4) "राज्य खेल संघों" से तात्पर्य राष्ट्रीय खेल संघ की संलग्नता प्राप्त राज्य इकाई से है।
- (5) "अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता" से तात्पर्य ओलम्पिक, एशियाड, विश्व चैम्पियनशिप, विश्वकप, एशियन चैम्पियनशिप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच एवं ऐसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जिसमें भारतीय दल के भाग लेने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमति एवं वित्तीय सहायता प्रदान की गयी हो, से है।
- (6) "राष्ट्रीय चैम्पियनशिप" से तात्पर्य राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित उस प्रतियोगिता से है, जिसका विजेता उस वर्ष के लिए अधिकृत तौर पर राष्ट्रीय विजेता कहलाता है।
- (7) "विगत वर्ष" से तात्पर्य जिस वित्तीय वर्ष के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है, उसके पूर्व का वित्तीय वर्ष।
- (8) "उपलब्धि वर्ष" से तात्पर्य विगत वर्ष से है।
- (9) "सम्मान वर्ष" से तात्पर्य जिस वित्तीय वर्ष के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है, से है।
3. **सम्मान का स्वरूप —**
- (1) गुण्डाधूर सम्मान एक खिलाड़ी या एक दल को दिया जा सकेगा। प्रत्येक अलंकरण में राशि रुपए एक लाख नगद, अलंकरण फलक एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
- (2) यदि यह सम्मान व्यक्तिगत खेल में उपलब्धि के आधार पर निर्णय किया जा रहा हो तो प्रत्येक अलंकरण के लिए एक खिलाड़ी का चयन होगा, लेकिन यदि यह सम्मान दलीय खेल में उपलब्धि के आधार पर निर्णय किया जा रहा हो तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन या राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक की स्थिति में निम्नांकित नियम होंगे।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन के आधार पर निर्णय किए जाने की स्थिति में वे सभी खिलाड़ी जिन्होंने समान रूप से एक ही समय में एक ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सम्मिलित रूप से एक टीम के रूप में भाग लिया है, सम्मिलित रूप से यह सम्मान प्राप्त करेंगे।
- यदि सम्मान का निर्णय राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक के आधार पर किया जा रहा हो तो में दल के वे सभी खिलाड़ी जिन्होंने सम्मिलित रूप से उपलब्धि प्राप्त की है, किसी वर्ष विशेष में यह सम्मान प्राप्त करेंगे।
- उपरोक्त स्थिति में सम्मान की नगद राशि चयनित खिलाड़ियों में समान रूप से इस प्रकार वितरित की जाएगी कि उसका सम्मिलित मूल्य रुपये एक लाख से अधिक ना हो। सभी खिलाड़ियों को अलंकरण फलक एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
4. **निर्णायक मंडल का गठन —**
- (1) विभाग द्वारा एक निर्णायक मंडल (जुरी) का गठन किया जाएगा, जो सामान्यतः पांच सदस्यीय होगा।
- (2) निर्णायक मंडल के वे सदस्य इस सम्मान से संबंधित निर्णयन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे, जिनके परिवारजनों ने उस वर्ष के सम्मान के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत की है।
5. **निर्णायक मंडल (जुरी) की शक्तियां —**
- (1) निर्णायक मंडल द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा।
- (2) सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी।
- (3) निर्णायक मंडल की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा।
- (4) प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए एक खिलाड़ी या एक दल का चयन होगा।

- (5) निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किए जाने पर उन्हें राज्य के प्रविष्टि अधिकारी ग्रेड ए के समकक्ष श्रेणी में बात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा।

पिष्टीय
रतीय

6. चयन की प्रक्रिया — सम्मान के लिए चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

- (1) जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किया जाना उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक खेल एवं युवा कल्याण द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा तथा प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएंगी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जाएंगी। विज्ञप्ति जारी करने के समय आदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तित कर सकेगा।
- (2) प्रविष्टि संचालक खेल एवं युवा कल्याण को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जाएगी। निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट-अ में संलग्न है।
- (3) संबंधित राज्य खेल संघ खिलाड़ियों के नामों की अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र में अंग्रेषित कर सकेगा।
- (4) संचालनालय एवं विभाग को खिलाड़ियों से सीधे आवेदन प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- (5) चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदंडों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी।
- (6) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित खिलाड़ी दोबारा इस सम्मान हेतु विचारणीय नहीं हैं।
- (7) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्पूर्व पत्र-व्यवहार पर सम्मान के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- (8) प्रविष्टि में दिए गए तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जाएगा।
- (9) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को प्राप्ति के 15 दिन के भीतर संबंधित "सम्मान वर्ष पंजी" में निम्नांकित प्रपत्र में पंजीकृत किया जाएगा।

। उस

रण

एक
। तो

मान
लत

। डी

कि
। या

क्र.	सम्मान हेतु व्यक्ति का नाम पता	प्रविष्टिकर्ता का नाम पद एवं पता	प्राप्त कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

। र्थ

- (10) पंजीयन के पश्चात् संचालक खेल एवं युवा कल्याण के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयारी कराई जाएगी जिसमें निम्नलिखित जानकारियों का समावेश होगा।

क्र.	व्यक्ति का नाम/पता एवं प्रस्तावक	"सम्मान" विषयक उपलब्धियों का संक्षिप्त व्यौरा	प्राप्त पुरस्कार/सम्मान	सम्मान ग्रहण करने बाबत सहमति है/नहीं है	अभिव्यक्ति
------	----------------------------------	---	-------------------------	---	------------

क

7. चयन के मापदंड —

- (1) गुण्डाधुर सम्मान ऐसे पात्र खिलाड़ियों को लिए जाएंगे जिन्होंने विगत वर्ष, एक खेल जिसे भारत सरकार युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर के खेल अलंकरण हेतु विचार श्रेय में लिया जाता है, के सोनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ को और से भाग लेते हुए स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक प्राप्त किया हो या अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो.
- (2) यह सम्मान पुरुष एवं महिला वर्ग के खिलाड़ियों के लिए सम्मिलित रूप से होगा अर्थात् उपलब्धियों की तुलना सम्मिलित रूप से की जाएगी.
- (3) इस सम्मान के लिए उन खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर विचार किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है या उपलब्धि वर्ष एवं पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य की किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित अध्ययनरत है या उपलब्धि वर्ष एवं पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय/अर्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम में नियंत्रित कार्यरत है.
- (4) सम्मान हेतु वर्ष की गणना 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी.
- (5) यदि चयन समिति को राय में किसी विशेष वर्ष में इस सम्मान को पाने योग्य प्रदर्शन नहीं होता है तो उस वर्ष सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है.
- (6) यह सम्मान विभाग के अन्य खेल पुरस्कारों के अलावा होगा जो खिलाड़ी को उसकी उपलब्धियों के लिए दिया गया है. लेकिन महाराजा प्रवीरचंद्र भंडेदेव सम्मान से अलंकृत खिलाड़ी इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे.
- (7) यह सम्मान किसी खिलाड़ी को उसके जीवन काल में केवल एक बार ही दिया जाएगा.
- (8) यदि किसी खिलाड़ी या दल को उपलब्धि वर्ष या सम्मान वर्ष में मान्यता प्राप्त खेल संगठन द्वारा राज्य या राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से निष्कासित किया गया हो तो उसे संबंधित वर्ष के लिए यह सम्मान प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी.
- (9) सम्मान हेतु प्रविष्टि के संबंध में किसी प्रकार का दबाव लाया जाना प्रविष्टि के लिए अनर्हता मानी जाएगी.
- (10) ऐसा माना जाएगा कि जिस खिलाड़ी की प्रविष्टि उसके स्वयं के द्वारा या अन्य किसी स्रोत से सम्मान हेतु प्राप्त हुई है, उस खिलाड़ी ने इन सब नियमों को स्वीकार कर लिया है.
- (11) प्रथम दृष्टि में उपयुक्त होते हुए भी विभाग संबंधित खिलाड़ी की प्रविष्टि पर विचार करने के लिए उस खिलाड़ी की खेल उपलब्धियों की आगे जांच पड़ताल और खोजबीन करने का अधिकार अपने पास रखता है.
- (12) सम्मान के निर्णय हेतु जहां आवश्यक हो निम्नांकित प्रार्थमिकता क्रम होगा :—
 - क. क्रमशः ओलंपिक, विश्व चैम्पियनशिप/विश्वकप, एशियाड, राष्ट्रमण्डलीय खेलों में स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक/भागीदारी.
 - ख. व्यक्तिगत खेलों में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक.
 - ग. व्यक्तिगत खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक.
 - घ. व्यक्तिगत खेल में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी.
 - ङ. दलीय खेलों में अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक/भागीदारी.
 - च. दलीय खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक.
 - छ. व्यक्तिगत खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में रजत पदक.
 - ज. दलीय खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में रजत पदक.
 - झ. व्यक्तिगत खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में कांस्य पदक.
 - ण. दलीय खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में कांस्य पदक.
 - ट. व्यक्तिगत एवं दलीय खेल के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्राप्त पदक हेतु उपरोक्त में जो क्रम निर्धारित है, उसी क्रम से राष्ट्रीय खेलों में प्राप्त पदक.

संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण छत्तीसगढ़
खेल भवन, रायपुर

(अपूर्ण अनुशंसा पत्र में विचार नहीं किया जाएगा)

प्रति,

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय : गुणडाभूष सम्मान वर्ष हेतु.

1. खेल का नाम-
2. खिलाड़ी/खिलाड़ियों का विवरण

क्र.	खिलाड़ी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	दूरभाष क्रमांक	पत्र व्यवहार का पूर्ण पता

नोट :- राज्य खेल संघों के लिए

- अ. खेल संघ केवल एक आवेदन पत्र ही अग्रेषित करें, जिसमें प्रावीण्य क्रम से तीन खिलाड़ियों के नाम अग्रेषित किए जा सकते हैं.
3. सीनियर वर्ग राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का विवरण जिसमें खिलाड़ी/खिलाड़ियों को पदक प्राप्त हुआ है. (प्रमाण-पत्र संलग्न करें.).

वर्ष	सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का पूरा नाम जिसमें पदक प्राप्त हुआ है	आयोजन स्थल का नाम एवं पूर्ण पता (स्टेडियम, शहर, राज्य)	आयोजन तिथि	प्राप्त पदक

4. अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का विवरण जिसमें खिलाड़ी ने भाग लिया है.
(प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

वर्ष	सौनियर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का पूरा नाम	आयोजन स्थल का नाम एवं पूर्ण पता (स्टेडियम, शहर, राज्य)	आयोजन तिथि	प्राप्त पदक

5. क्या संबंधित खिलाड़ियों को राज्य शासन द्वारा किसी अन्य खेल पुरस्कार से अलंकृत किया गया है. यदि हां तो कृपया विवरण दें.
6. क्या संबंधित खिलाड़ियों ने इस वर्ष के महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान हेतु प्रविष्टि प्रस्तुत की है- हां/नहीं
7. खिलाड़ी/खिलाड़ियों की अन्य उपलब्धियों की जानकारी सादे कागज में लेख कर पृथक से प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति के साथ संलग्न किया जाए.
8. क्या खिलाड़ी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है- हां/नहीं
9. क्या खिलाड़ी विगत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य की किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत है- हां/नहीं.
10. क्या खिलाड़ी विगत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय/अर्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम में निरंतर कार्यरत है.

घोषणा-पत्र

- मैं/हम घोषणा करता/करती/करते हूँ/हैं कि (जो लागू न हो उसे काट दें)
- अ. प्रपत्र में उल्लेखित खिलाड़ी/खिलाड़ियों को विगत वर्ष या इस वर्ष आज दिनांक तक संबंधित राष्ट्रीय प्रतियोगिता से निष्काशित नहीं किया गया है.
- ब. प्रपत्र में उल्लेखित खिलाड़ी/खिलाड़ियों ने इस पुरस्कार हेतु निर्धारित नियमों को पढ़ लिया है एवं इन सब नियमों को स्वीकार कर लिया है.
- स. यदि मेरा/हमारा चयन गुण्डाधर सम्मान प्राप्त करने हेतु किया जाता है तो मैं/हम इस सम्मान को प्राप्त करने हेतु सहमत हूँ.
- द. उपरोक्त विवरण पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणित है. उपरोक्त जानकारी असत्य पाए जाने की दशा में यह आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाए तथा असत्य जानकारी देने के लिए मैं/हम विधि के अनुसार उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी/रहेंगे.

क्र.	खिलाड़ियों का नाम	डाक टिकट साईज फोटो	खिलाड़ियों के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

पूरा नाम

सचिव
राज्य खेल संघ
छत्तीसगढ़